CO
15/16

भंवरी देवी वगै.। बनाम श्री. रामचन्द्र कुमावत वगै.

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो बरा हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 20.9.25 | अधिवक्तागण उदयपुर में माननीय हाईकोर्ट बेंच की मांग के समर्थन में न्यायिक कार्य में भाग नहीं ले रहे हैं।<br>पत्रावली वास्ते उचित आदेश व शेष बहस प्रार्थना पत्र हेतु दिनांक 23.9.25 को पेश हो।<br>अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश<br>नाथद्वारा (राजसमन्द) | |
| | 23.9.25 वकलाय उप. प्रा.पक्ष 41(5-5 व 6)<br>मध्यस्थता एवं सुलह अधि. पर बहस (जरिये)<br>पत्रावली वास्ते आदेश हेतु<br>दिनांक 29/9/25 को पेश हो।<br>अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश<br>नाथद्वारा (राजसमन्द) | |
| 29.9.25 | वकलाय उप.। श्रीमान P.O. साहब अवकाश पर है।<br>पत्रावली पूर्व आदेश दिनांक 6.10.25 को पेश हो।<br>अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश<br>नाथद्वारा (राजसमन्द) | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर ... आदेश ... की ता... |
|---|---|---|
| 06.10.25 | वकलाय पक्षकारान उपस्थित। पुनः बहस अन्तिम [illegible] पत्रावली वास्ते अन्तिम बहस दिनांक 08.10.25 को पेश हो।<br>अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश<br>नाथद्वारा (राजसमन्द) | |
| 8.10.25 | वकलाय फरीकेन उपस्थित। [illegible] करने के कारण आदेश नहीं लिखाया जा सका। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 15.10.25 को पेश हो।<br>अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश<br>नाथद्वारा (राजसमन्द) | |
| 15/10/25 | वकलाय फरीकेन उपस्थित। अन्य टार्गेट मूल दीवानी वाद में निर्णय लिखाया जाकर सुनाये जाने के कारण हस्तगत प्रकरण में आदेश नहीं लिखाया जा सका। पत्रावली वास्ते पुनः बहस हेतु दिनांक 29/10/2025 को पेश हो।<br>अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश<br>नाथद्वारा (राजसमन्द) | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, नाथद्वारा<br>प्रकरण संख्या : 15 / 2016 ई.दी.<br>भंवरी देवी वगै. बनाम मै. रामचन्द्र कुमावत वगै.<br>( 1/10 )<br>आदेश दिनांक : 29.10.2025 | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

29.10.2025

वकुलाय फरीकेन उपस्थित।

विद्वान् अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 व 8 मध्यस्थता एवं सूलह अधिनियम पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान् अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 श्री मुकेश तलेसरा ने अपने उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया और मुख्य रूप से यह कथन किया कि वादीगण ने वादग्रस्त सम्पत्ति भागीदारी फर्म की सम्पत्ति होना बताते हुए हस्तगत वाद पेश किया है और यह भी उल्लेखित किया कि पक्षकारान के मध्य भागीदारी विलेख दिनांक 01.04.2002 को निष्पादित किया गया है जिसके अनुसार भागीदारों के मध्य उत्पन्न होने वाले विवाद का निस्तारण विलेख की शर्त संख्या 21 के अनुसार पंच निर्णय के जरिये किये जाने का प्रावधान है। इस कारण मध्यस्थता एवं सूलह अधिनियम के प्रावधान हस्तगत वाद पर लागू होते हैं और मध्यस्थ द्वारा ही ऐसे मामले को निस्तारित करने की अधिकारिता प्राप्त है। मध्यस्थ एवं सूलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों मे तहत उक्त प्रकरण की सुनवाई की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। अतः प्रकरण में न्यायालय द्वारा विधिनुसार कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं होने से वादीगण का वाद मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जावें।

इसके विपरीत विद्वान् अधिवक्ता वादी श्री वी.एस. कर्णावट की ओर से अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ कर्णावट ने बहस करते हुए मुख्य रूप से यह कथन किया कि वादीगण द्वारा वाद में जिन सम्पत्तियों का विवरण दिया गया है, वे सम्पत्तियां सभी भागीदारी फर्म की सम्पत्ति नहीं है। हस्तगत वाद में धारा 5 व 8 मध्यस्थता एवं सूलह अधिनियम के प्रावधान लागू ही नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त भी प्रतिवादीगण द्वारा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 व 151 सीपीसी प्रस्तुत कर फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस उठा ली है। उक्त प्रकरण में भागीदारी फर्म के

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
नाथद्वारा (राजसमन्द)

भागीदार एवं पक्षकार समान नहीं है। भागीदारी विलेख में सभी वादीगण पक्षकार नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें। अपने तर्कों के समर्थन में निम्न माननीय विनिर्णय प्रस्तुत किये गये जिनका मेरे द्वारा ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया :—

(1) AIR 2003 Supreme Court 2252
Sukanya Holdings P.L. v Jayesh H. Pandya & anr.

(2) (2017) 4 CivLJ 467
M/s Ramdeobaba Padmavati Developers & Builders, A Partnership Firm, Nagpur v Ganesh Vitthaldas Chandak

(3) (2019) 4 CivLJ 875
Shantilal Shivabhai Jadav v Kaushikbhai Hiralal Siddhiwala

(4) AIR 2006 Delhi 203
Super Seals India Lmt. v SOS Automotive Componenets (P.) LTd.

(5) AIR 2011 P&H 157
Rattan Chand v Smt. Bimla Devi & Ors.

(6) 2018 0 Supreme (AP) 179
D. Muralidhar Rao v M/s Srinivasa Constructions Rep. by its Managing Partner

(7) AIR 2011 Supreme Court 442
S.N. Prasad v M/s Monnet Finance Ltd. & ors.

(8) AIR 2018 Gujarat 142
Gujarat Composite Ltd. v. A Infrastructure Ltd.

(9) AIR 2016 Calcutta 26
Suresh Tulshan, Trustee of KP Foundation & ors. v Marco Polo Restaurant Pvt. Ltd.

उभय पक्षकारान के परस्पर विरोधी तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम The Arbitration and Conciliation Act, 1996 की धारा 5 व 8 के उपबंधों का अवलोकन किया जाना उचित होगा जो निम्न प्रकार है :—

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
(राजसमन्द)

"5. **Extent of judicial intervention.**—Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, in matters governed by this Part, no judicial authority shall intervene except where so provided in this Part.

**8. Power to refer parties to arbitration where there is an arbitration agreement.**—[(1) A judicial authority, before which an action is brought in a matter which is the subject of an arbitration agreement shall, if a party to the arbitration agreement or any person claiming through or under him, so applies not later than the date of submitting his first statement on the substance of the dispute, then, notwithstanding any judgment, decree or order of the Supreme Court or any Court, refer the parties to arbitration unless it finds that prima facie no valid arbitration agreement exists.

(2) The application referred to in sub-section (1) shall not be entertained unless it is accompanied by the original arbitration agreement or a duly certified copy thereof.

(3) Notwithstanding that an application has been made under sub-section (1) and that the issue is pending before the judicial authority, an arbitration may be commenced or continued and an arbitral award made."

माननीय विनिर्णय **AIR 2003 Supreme Court 2252, Sukanya Holdings P.L. v Jayesh H. Pandya & anr.** में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि :—

"15. The relevant language used in Section 8 is "in a matter which is the subject matter of an arbitration agreement", Court is required to refer the parties to arbitration. Therefore, the suit should be in respect of 'a matter' which the parties have agreed to refer and which comes within the ambit of arbitration agreement. Where, however, a suit is commenced - "as to a matter" which lies outside the arbitration agreement and is also between some of the parties who are not parties to the arbitration agreement, there is no question of application of Section 8. The words 'a matter' indicates entire subject matter of the suit should

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
नाथद्वारा (राजसमन्द)

be subject to arbitration agreement.

16. The next question which requires consideration is even if there is no provision for partly referring the dispute to arbitration, whether such a course is possible under Section 8 of the Act? In our view, it would be difficult to give an interpretation to Section 8 under which bifurcation of the cause of action that is to say the subject matter of the suit or in some cases bifurcation of the suit between parties who are parties to the arbitration agreement and others is possible. This would be laying down a totally new procedure not contemplated under the Act. If bifurcation of the subject matter of a suit was contemplated, the legislature would have used appropriate language to permit such a course. Since there is no such indication in the language, it follows that bifurcation of the subject matter of an action brought before a judicial authority is not allowed.

17. Secondly, such bifurcation of suit in two parts, one to be decided by the arbitral tribunal and other to be decided by the civil court would inevitably delay the proceedings. The whole purpose of speedy disposal of dispute and decreasing the cost of litigation would be frustrated by such procedure. It would also increase the cost of litigation and harassment to the parties and on occasions there is possibility of conflicting judgments and orders by two different forums."

उपरोक्त विधिक प्रावधानों एवं माननीय विनिर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में वादपत्र के अभिवचनों का अवलोकन करें तो वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध हस्तगत वाद बाबत् विभाजन जायदाद एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया है। वादपत्र में उल्लेखित अनुसार परिशिष्ट–A से परिशिष्ट–Z एवं परिशिष्ट–A1 से परिशिष्ट–A10 में वर्णित चल व अचल सम्पत्तियों का विभाजन चाहा गया है। वादीगण ने अपने वादपत्र में उपरोक्त परिशिष्टों में वर्णित विवादित चल व अचल सम्पत्तियों को संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित सम्पत्तियां होना उल्लेखित की गई है। वादीगण के अभिवचनों के अनुसार वादग्रस्त सम्पत्तियां संयुक्त हिन्दू

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, नाथद्वारा (राजसमन्द)

परिवार के व्यवसाय से प्राप्त आमदनी से क्रय की गई है जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण का हक व हिस्सा है। पक्षकारान के मध्य विवाद उत्पन्न होने से वादीगण ने उपरोक्त विवादित चल व अचल सम्पत्तियों के विभाजन के लिए हस्तगत वाद प्रस्तुत किया है।

प्रतिवादी संख्या 1 के अनुसार पक्षकारान के मध्य भागीदारी विलेख का निष्पादन हुआ है एवं प्रतिवादी संख्या 1 भागीदारी फर्म है और भागीदारी विलेख के अनुसार भागीदारों के मध्य उत्पन्न होने वाले विवाद का निस्तारण पंच निर्णय के जरिये किये जाने का प्रावधान अंकित है। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत किये गये उपरोक्त तर्क के संदर्भ में सर्वप्रथम यहां यह उल्लेख किया जाना उचित होगा कि प्रतिवादी संख्या 1 ने मूल भागीदार विलेख दिनांकित 01.04.2002 अथवा उक्त भागीदारी विलेख की सत्यापित प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की है, केवल मात्र फोटो प्रति प्रस्तुत की गई है। इस संदर्भ में माननीय विनिर्णय **(2019) 4 CivLJ 875, Shantilal Shivabhai Jadav v Kaushikbhai Hiralal Siddhiwala** के मामले में माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि "16. Though the learned advocates for the respective parties have argued on non compliance of Section 8(2) of the Act, it is evident that the mandate of section 8(2) requires the applicant of an application under such section to produce a certified copy or the original of the arbitration agreement. Having failed to so produce the same, there was a breach of the mandate and therefore even though a copy Mark 3/1 was on record, the Section is unequivocal that it is the applicant of such application who needs to produce such agreement. The trial court has held against the applicant on a subjective satisfaction and there is no reason to overturn the same in view of the mandate so involved."

यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी संख्या 1 मैसर्स रामचन्द्र कुमावत एण्ड कम्पनी को भागीदारी फर्म के रूप में एवं

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, नाथद्वारा**<br>प्रकरण संख्या : 15/2016 ई.दी.<br>भंवरी देवी वगै. बनाम मै. रामचन्द्र कुमावत वगै.<br>**( 6/10 )**<br>**आदेश दिनांक : 29.10.2025** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

प्रतिवादी संख्या 2 रामचन्द्र को संयुक्त परिवार के सदस्य के रूप में बतौर पक्षकार बनाया गया है। भागीदारी विलेख दिनांकित 01.04.2002 के अनुसार उपरोक्त भागीदारी फर्म के भागीदार रामचन्द्र (प्रतिवादी संख्या 2), विपिन (वादी संख्या 2), नरेन्द्र (प्रतिवादी संख्या 3) एवं सुरेन्द्र (प्रतिवादी संख्या 4) है। शेष वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 12 मैसर्स रामचन्द्र कुमावत एण्ड कम्पनी भागीदारी फर्म के भागीदार नहीं है एवं भागीदारी विलेख में सिग्नेटरी भी नहीं है। इन परिस्थितियों में उक्त भागीदारी फर्म के भागीदारों के अतिरिक्त अन्य पक्षकारान भागीदारी विलेख के उपबंधों से बाध्य नहीं है। इस संदर्भ में माननीय विनिर्णय **AIR 2003 Supreme Court 2252, Sukanya Holdings P.L. v Jayesh H. Pandya & anr.** में प्रतिपादित सिद्धान्तों का अनुसरण करते हुए माननीय विनिर्णय **(2019) 4 CivLJ 875, Shantilal Shivabhai Jadav v Kaushikbhai Hiralal Siddhiwala** में यह प्रतिपादित किया गया है कि "7.2 That Sukanya Holdings (AIR 2003 SC 2252) still holds the field is evident from the discussion in the case of Amin Associates (supra) rendered by the Division Bench of this Court. This Court while discussing the judgement in the case of Sukanya Holdings (supra) has categorically held that once an application is filed under Section 8 of the Act the approach of the Civil Court should be not to see whether the Court has jurisdiction. It should see whether its jurisdiction has been ousted. There is a lot of difference between the two approaches. Once it is brought to the notice of the Court that its jurisdiction has been taken away in terms of the provisions prescribed under a special statute, the Civil Court should first see whether there is ouster of jurisdiction in terms. When there are serious allegations of fraud, the Division Bench has held that they are to be treated as non arbitrable and it is only the Civil Court which should decide such matters."

माननीय विनिर्णय **AIR 2006 Delhi 203 Super Seals India Lmt. v SOS Automotive Componenets (P.) Ltd.** में यह प्रतिपादित किया गया है कि "Arbitration and Conciliation Act (26

of 1996), S.8 - Reference to arbitrator Application for - Locus standi - Arbiration clause contained in Family Settlement deed executed by Plaintiff Company 'A' and its family concern 'B' - Applicant/ defendant admittedly was neither party nor signatory to said deed - Not proved to be assignee of 'B' as alleged Thus, application by him for reference to arbitrator dismissed."

माननीय विनिर्णय **AIR 2011 P&H 157 Rattan Chand v Smt. Bimla Devi & Ors.** में यह प्रतिपादित किया गया है कि "Arbitration and Conciliation Act (26 of 1996), S. 8 - Reference to arbitration Applicability of S. 8 - After death of deceased, Firm stood automatically dissolved and arbitration agreement came to an end Defendants were not party to agreement of partnership and also not partners of Firm - Matter outside arbitration agreement hence S. 8 not applicable - Suit for dissolution of partnership and rendition of account has to be adjudicated by Civil Court."

माननीय विनिर्णय **2018 0 Supreme (AP) 179 D. Muralidhar Rao v M/s Srinivasa Constructions Rep. by its Managing Partner** में यह प्रतिपादित किया गया है कि "18. The last question that survives for consideration is whether an order under Section 8 of the Act could be passed directing the parties to go to arbitration, when the plaint includes reliefs and also parties who are not parties to the arbitration agreement. A reading of the record makes it clear that the third defendant in the suit viz., Suyosha Health Care Pvt. Ltd. is not a party to either Ex.P.1, agreement dated 17.08.2007 or the subsequent agreement dated 28.06.2009. The reliefs claimed in the suit are for a declaration that the third defendant is a tenant in the premises for a direction to pay the arrears of rent from 01.10.2015 onwards and also the future rents to the plaintiff, besides the relief of permanent injunction. Therefore, a reading of the plaint makes it clear that a substantial relief is claimed against the third defendant in the suit.

19. The plaintiffs case is that there is a breach committed by the defendants 1 & 2 and that on the basis of some untenable documents, construction of the building was carried out. It is also

his alternative case that defendants 1 & 2 are collecting the entire rent for the building, instead of limiting it to the development to the share of 47.5%. The issues such as breach of contract and whether the third defendant could be inducted to the tenancy are the matters to be decided in the suit after a full-fledged trial. The reliefs claimed against third defendant cannot be segregated and decided separately. The suit consists of reliefs which are claimed both against defendants 1 & 2 who are parties to the agreement and against third defendant who is not a party to the agreement.

20. The Hon'ble Supreme Court of India in Sukanya Holdings Pvt. Ltd. v. Jayesh H. Pandya, AIR 2003 SC 2252 clearly held that the reliefs cannot be separated in a case like this. There is also a likelihood of conflicting decisions arising if the cause of action is separated and decided by two different tribunals viz., civil Court as far as the third defendant is concerned and the arbitrator as far as defendants 1 & 2 are concerned. To avoid such likelihood of conflicting decisions and to ensure that the lis is decided comprehensively among all the parties, this Court is of the opinion that the suit needs to be adjudicating on merits by the civil court instead of by the arbitrator. Therefore, this Court is of the opinion that the lower Court committed an error in referring the parties to arbitration, when a third party is included as a defendant in the suit. This point is answered accordingly."

माननीय विनिर्णय **AIR 2011 Supreme Court 442 S.N. Prasad v M/s Monnet Finance Ltd. & ors.** में यह प्रतिपादित किया गया है कि "(A) Arbitration and Conciliation Act (26 of 1996), Ss. 7(4)(c), 11 - Reference to arbitration - Loan agreement - Appointment of arbitrator sought by lender Second guarantor was not party to loan agreement containing arbitration clause between lender and borrower He cannot be made party to reference in regard to dispute relating to repayment of such loan and subjected to arbitration award."

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, नाथद्वारा<br>प्रकरण संख्या : 15/2016 ई.दी.<br>भंवरी देवी वगै. बनाम मै. रामचन्द्र कुमावत वगै.<br>( 9/10 )<br>आदेश दिनांक : 29.10.2025 | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

माननीय विनिर्णय **AIR 2018 Gujarat 142 Gujarat Composite Ltd. v. A Infrastructure Ltd.** में यह प्रतिपादित किया गया है कि "Arbitration and Conciliation Act (26 of 1996), S.8 - Reference to arbitrator - Arbitrable and non-arbitrable dispute - Cannot be bifurcated - Rejection of reference, proper."

उपरोक्त माननीय विनिर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण के तथ्यों एवं परिरिथतियों पर विचार करें तो यह स्पष्ट है कि वादी संख्या 1, वादी संख्या 2 लगायत 9, प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 12 मैसर्स रामचन्द्र कुमावत एण्ड कम्पनी भागीदारी फर्म के भागीदार नहीं है। उपरोक्त पक्षकार भागीदारी विलेख दिनांकित 01.04.2002 के सिग्नेटरी भी नहीं है। विवादित सम्पत्तियां संयुक्त परिवार की सम्मिलित आय से खरीद की गई सम्पत्तियां होना बताई गयी है जिसमें वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 12 का हक व हिस्सा होना उल्लेखित किया गया हैं एवं उक्त सम्पत्तियों के विभाजन का अनुतोष चाहा गया है। यहां यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि वादपत्र के परिशिष्ट–U में जिस अचल सम्पत्ति का उल्लेख किया गया है, उस सम्पत्ति के विभाजन का वाद स्वयं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने न्यायालय जिला न्यायाधीश, उदयपुर में प्रस्तुत कर रखा है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी संख्या 2 से 4 ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के समक्ष Arbitration and Conciliation Act, 1996 की धारा 11 के तहत S.B. Arbitration Application No. 31/2017 प्रस्तुत कर रखी है जो वर्तमान में लंबित है। हस्तगत प्रकरण में पक्षकारान के मध्य उत्पन्न विवाद का निस्तारण भागीदारी विलेख के प्रावधान 21 के अनुसार मध्यस्थ के माध्यम से किया जाना है अथवा नहीं? यह विषय माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा उक्त प्रकरण को निर्णीत किया जाना है। इस स्तर पर इस न्यायालय के द्वारा उक्त बिन्दु पर निष्कर्ष पारित किया जाना विधिसम्मत् नहीं होगा। प्रकरण के इस स्तर पर उपरोक्त विधिक प्रावधानों एवं उपरोक्त माननीय विनिर्णयों में

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | **न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, नाथद्वारा**<br>प्रकरण संख्या : 15 / 2016 ई.दी.<br>भंवरी देवी वगै. बनाम मै. रामचन्द्र कुमावत वगै.<br>**( 10/10 )**<br>**आदेश दिनांक : 29.10.2025** | |

प्रतिपादित सिद्धान्तों के आलोक में प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 व 8 मध्यस्थता एवं सूलह अधिनियम, 1996 स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 व आदेश 22 नियम 10 सीपीसी हेतु दिनांक 12.11.2025 को पेश हो।

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
नाथद्वारा (राजसमन्द)